भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3377

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हासिल किए गए लक्ष्य

3377. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत लक्ष्यों और उद्देश्यों को कितना प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) उक्त मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसके कार्यान्वयन के लिए मुहैया कराई गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मिशन के आरंभ से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि के हिस्सेदारी पैटर्न का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क): स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके 2 अक्टूबर, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा प्राप्त करना है। एसबीएम (जी) के तहत, स्वच्छता कवरेज 2014 में 39% से बढ़ाकर 2019 में 100% कर दिया गया था, जिसमें एसबीएम (जी) के चरण- I के तहत निर्मित 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) और देश के सभी गांवों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया था।

ओडीएफ स्थिति हासिल करने के बाद, एसबीएम (जी) का चरण- II 1 अप्रैल, 2020 से गांवों में ओडीएफ स्थिरता और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू किया गया है, अर्थात् 2025-26 तक गांवों को ओडीएफ प्लस (मॉडल) में बदलने के लिए। ओडीएफ प्लस प्रगति को तीन श्रेणियों में दर्ज किया गया है अर्थात उदीयमान और उज्ज्वल (मध्यवर्ती श्रेणियां) और उत्कृष्ट (अंतिम श्रेणी)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार, देश के 5,86,788 गांवों में से 5,64,096 गांवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस (1,12,115 उदीयमान, 7,337 उज्ज्वल और 4,44,644 उत्कृष्ट) और 5,03,585 गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के साथ कवर किया गया है और

5,22,462 गांवों को 17-03-2025 तक देश में तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) में शामिल किया गया है।

(ख): एसबीएम (जी) की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान करना ताकि वे राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यान्वयन नीति, निधियों और तंत्रों के उपयोग पर निर्णय ले सकें।
- कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से शुरू करने और सामूहिक परिणामों को मापने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

एसबीएम (जी) के तहत विगत 10 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:

करोड़ रुपए में

वर्ष	**जारी**
2014-15	2849.95
2015-16	6524.53
2016-17	10496.04
2017-18	16941.96
2018-19	21629.79
2019-20	11845.71
2020-21	4947.92
2021-22	3111.37
2022-23	4925.14
2023-24	6802.58
2024-25	3014.06

(ग): केन्द्र और राज्यों के बीच एसबीएम (जी) के अंतर्गत निधियों की हिस्सेदारी सामान्य राज्यों के लिए सभी घटकों के लिए 60:40 के अनुपात में है; वहीं 8 पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मामले में 90:10 के अनुपात में। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100% हिस्सा केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सूचित आंकड़ों के अनुसार, एसबीएम (जी) के अंतर्गत 11.83 करोड़ वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और 2.53 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है। इसके अलावा देश के 5,86,788 गांवों में से 5,64,096 गांवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस (1,12,115 उदीयमान, 7,337 उज्ज्वल और 4,44,644 उत्कृष्ट) घोषित किया है और 5,03,585 गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) में शामिल किया गया है और 5,22,462 गांवों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) में शामिल किया गया है।

*****